



## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### —:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) के विषय अर्थशास्त्र व्याख्याता के स्थाईकरण आदेश का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था, में संबंधित कार्मिक का कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	SHASHIKANT JANGIR - GSSS. ADARSH DUNGARI SIROHI	शिविरा / माध्य / संस्था / सी-5 / स्थाईकरण / पार्ट-III / 2018-19 / 432 दिनांक:-12. 10.2020	स्थाईकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 12.10. 2020 में क्रम संख्या 2 पर कॉलम संख्या 6 में अंकित SHASHIKANT JANGIR के स्थान पर SHASHIKANT JANGIR व DUNGARI के स्थान पर ADARSH DUNGARI पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18/564

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर